

फर्द अहकाम

2023/28

तहसीलदार, जोबनेर

बनाम

कमलेश वर्गौ

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० 03/2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.01.2023	<p>तहसीलदार जोबनेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली दिनांक 13.01.2023 को पेश हो।</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> 12/01/2023</p>	
	13/1/2023	<p>पटवारी हल्का बोबास उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार एवं पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक भू०अ०/2023/207 दिनांक 12.01.2023 तथा संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राप्त तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार "ग्राम बोबास के प्रचलित रास्ते" के संबंध में रास्ते से प्रभावित खसरा नं० 811/872 में समस्त खातेदारों/सहखातेदारों की सहमति प्राप्त हुई तथा प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के ही उपयोग में आने से राजस्व (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प३(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप-6) क्रमांक प. 3(17)/राज-6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम बोबास के खसरा नं० 811/872 रकबा 4.2367 हैक्ट में से रकबा 0.0929 हैक्ट भूमि का मौके पर उपयोग प्रचलित रास्ते में होने से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत एवं अलग खसरा नं० दिये जाकर किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज किये जाने व खातेदार अधिकारी यथवात रखे जाने संबंधी अनुशांषा तहसीलदार जोबनेर से प्राप्त हुई है। समस्त खातेदारान की सहमति उपरान्त तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं उक्तानुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तावित ग्राम बोबास के खसरा नं० 811/872 के रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तथा वर्तमान राजस्व</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> पं० बोबास</p> <p>रूपनारायण सरपंच ग्राम पंचायत-बोबास पं.स.-जोबनेर (जयपुर)</p>

[Handwritten Signature]
13/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर


13/01/2023

रिकार्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश चस्पा नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश से भूमि के प्रभावित होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्राथमिक तौर पर तहसीलदार द्वारा प्रेषणिय प्रस्ताव में विपरित टिप्पणी नहीं होने तथा पटवारी हल्का बोबास द्वारा भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित नहीं होने का अभिवचन किया है।

अतः ग्राम बोबास के खसरा नं० 811/872 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तथा उपरोक्त खसरा नं० के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं होने पर, रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया जाकर पृथक से टंकित कराया गया।

तहसीलदार जोबनेर को तहरीर वास्ते राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।


13/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरुण कुमार जैन R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 3/2023

दायर तारीख :- 12.01.2023

तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पुत्र फूलचंद
 2. फूलचंद पुत्र नारायण
 3. बनवास पुत्र फूलचंद
 4. राजू पुत्र फूलचंद
 5. मंगली देवी पत्नि देवकी नन्दन
 6. गंगाराम पुत्र कल्याण
 7. लालाराम पुत्र कल्याण
- समस्त जाति जाट निवासी पांच्यावाला

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट



1. पटवारी हल्का बोबास
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

सरकार पैरोकार एवं पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक भू0अ0/2023/207 दिनांक 12.01.2023 तथा संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

“ग्राम बोबास के प्रचलित रास्ते” के संबंध में रास्ते से प्रभावित खसरा नं0 811/872 में समस्त खातेदारों/सहखातेदारों की सहमति प्राप्त हुई तथा प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के ही उपयोग में आने से राजस्व (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप-6) क्रमांक प. 3(17)/राज-6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम बोबास के खसरा नं0 811/872 रकबा 4.2367 हैक्ट में से रकबा 0.0929 हैक्ट भूमि का मौके पर उपयोग प्रचलित रास्ते में होने से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत एवं अलग खसरा नं0 दिये जाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने व खातेदार अधिकारी यथवात रखे जाने संबंधी अनुशंषा तहसीलदार जोबनेर से प्राप्त हुई है। समस्त खातेदारान की सहमति तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं उक्तानुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तावित ग्राम बोबास के खसरा नं0 811/872 के रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश चस्प्या नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश से भूमि के प्रभावित होने के संबंध में कोई

.....2
13/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

(2)

टिप्पणी नहीं की है। प्राथमिक तौर पर तहसीलदार द्वारा प्रेषणीय प्रस्ताव में विपरित टिप्पणी नहीं होने तथा पटवारी हल्का बोबास द्वारा भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित नहीं होने का अभिवचन किया है।

ग्राम बोबास के खसरा नं० 811/872 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं होने से प्रचलित रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः ग्राम बोबास के खसरा नं० 811/872 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं होने से मौके पर प्रचलित रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करने तथा नवीन खसरा नम्बर कायम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को टंकित कराकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



13/01/2023
(अरुण कुमार) उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर